



राजस्थान सरकार
राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग
हैण्डलूम हवेली, अशोक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर


वेबसाईट : rscdrc.food.rajasthan.gov.in, मेल आई.डी. raj-sforum@nic.in, दूरभाष 0141-2372237

क्रमांक :- एफ 29/सा.प्र./रा.आ./705

दिनांक 23.08.2021

कार्यालय आदेश

सामान्य प्रशासन (गुप-1) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के आदेश क्रमांक F.2(1)GA/GR.1/2021 दिनांक 22.08.2021 द्वारा श्री कल्याण सिंह, माननीय पूर्व राज्यपाल राजस्थान का निधन हो जाने पर दिनांक 23.08.2021 (सोमवार) का राजकीय अवकाश घोषित किया गया है। उक्त आदेश के अनुक्रम में राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जयपुर, सर्किट बैंच- जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा एवं समस्त जिला आयोगों में दिनांक 23.08.2021 (सोमवार) का अवकाश घोषित किया जाता है।



(अनीश दाधीच)
रजिस्ट्रार

क्रमांक :- एफ 29/सा.प्र./रा.आ /706-716

दिनांक 23.08.2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सहायक, माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जयपुर।
2. माननीय न्यायिक सदस्य/गैर न्यायिक सदस्य, राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जयपुर।
3. निजी सहायक, पंजीयक, राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जयपुर।
4. प्रभारी अधिकारी, राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, सर्किट बैंच जोधपुर/बीकानेर/उदयपुर एवं कोटा। (जरिये ई-मेल से)
5. उप पंजीयक, राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जयपुर।
6. अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, (समस्त) राजस्थान। (जरिये ई-मेल से)
7. अध्यक्ष, राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण बार एसोसियेशन, जयपुर।
8. अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, बार एसोसियेशन, (समस्त) राजस्थान द्वारा अध्यक्ष संबंधित जिला आयोग, राज.। (जरिये ई-मेल से)
9. प्रभारी, कम्प्यूटर शाखा, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाने हेतु।
10. कॉजलिस्ट शाखा/संस्थापन शाखा, राज्य आयोग।
11. नोटिस बोर्ड, राज्य आयोग।


(रजिस्ट्रार)